<u>राज्य सभा</u>

तारांकित प्रश्न संख्या *34

06 फरवरी, 2019 को उत्तर के लिए

प्रयोगशाला परीक्षण में सरिये के नमूने का असफल होना

***34. श्री मोतीलाल वोराः**

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों की कंपनियों द्वारा निर्मित सरियों के नमूने प्रयोगशाला परीक्षण में असफल पाए गये;

(ख) क्या सरकार का ध्यान ''फर्स्ट कंस्ट्रक्शन काउंसिल'' की सर्वेक्षण रिपोर्ट की ओर गया है जिसके अनुसार हालांकि ये कंपनियां उन सरियों की गुणवत्ता को ठीक रखती है जिनका प्रयोगशाला में परीक्षण होता है, लेकिन ये ब्रांड के शेष उत्पादों में खतरनाक रूप से मिलावट करती है;

(ग) यदि हां, तो दोषी कंपनियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्रवाई की गयी है;

(घ) सरकार द्वारा सरियों की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) यदि कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, तो इसके क्या कारण हैं?

<u>उत्तर</u>

इस्पात मंत्री **(श्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह)**

(क) से (ङ): एक विवरण सदन के पटन पर रख दिया गया है।

*****

"प्रयोगशाला परीक्षण में सरिये के नमूने का असफल होना" के बारे में श्री मोतीलाल वोरा, संसद सदस्य द्वारा राज्य सभा में दिनांक 06 फरवरी, 2019 के लिए पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या *34 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख): बीआईएस ने लोकप्रिय मीडिया में फर्स्ट कंस्ट्रक्शन काउंसिल (एफसीसी) नामक एक संगठन द्वारा प्रकाशित एक समाचार रिपोर्ट का उल्लेख किया है, जिसमें उन्होंने सूचित किया है कि देश के 26 टीएमटी बार के ब्रांडों में से 18 बार ब्रांडों के नमूने परीक्षण के दौरान गुणवत्ता मानकों में विफल रहे।

बीआईएस ने एफसीसी से लैब, जिसमें परीक्षण किया था, नमूनों के स्रोत, विनिर्माताओं के नाम जैसे विवरण प्रदान करने का अनुरोध किया है। एफसीसी ने सूचित किया है कि नमूने दिल्ली के खुले बाजार से लिए गए थे और श्रीराम इंस्टिट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च (एसआईआईआर), दिल्ली में परीक्षण किया गया था।

इसके अलावा, एफसीसी द्वारा सूचित परीक्षण परिणाम की पुष्टि करने के लिए बीआईएस ने लैब अर्थात् एसआईआईआर से संपर्क किया और शेष नमूनों का पुनःपरीक्षण करने का अनुरोध किया। इन नमूनों के परीक्षण के लिए लैब से परीक्षण अनुरोधों और एफसीसी, मुंबई द्वारा उपलब्ध नमूनों के ग्रेड, आकार और ब्रांड का नाम जैसे नमूनों के ब्यौरों की प्रतियाँ भी उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया।

तथापि, लैब ने सूचित किया है कि इस पर अनुमति के लिए बुकिंग पार्टी की सहमति अपेक्षित होगी। बीआईएस ने उपर्युक्त की सहमति के लिए एफसीसी को प्रस्ताव भेजा था। एफसीसी ने सहमति प्रदान नहीं की।

बीआईएस नियमित रूप से परीक्षण करता है और उपयुक्त कार्रवाई करता है।

(ग): बीआईएस, प्रभारी सांविधिक निकाय, जो दोषी कम्पनियों के विरुद्ध कार्रवाई करती है, कार्रवाई नहीं कर पाई क्योंकि एफसीसी ने दर्ज किये गए परिणामों के सत्यापन की सुविधा नहीं दी।

(घ): इस्पात मंत्रालय ने टीएमटी बार्स स्टेंडर्ड आईएस 1786:2008 समेत 53 इस्पात तथा इस्पात उत्पादों पर गुणवत्ता नियंत्रण आदेश को क्रियान्वित किया है। इस्पात गुणवत्ता नियंत्रण आदेश घरेलू उत्पादन के साथ-साथ आयातों पर भी लागू है। इस्पात गुणवत्ता नियंत्रण आदेश का क्रियान्वयन बड़े पैमाने पर उद्योग और जनसामान्य को गुणवत्ता उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करता है।

बीआईएस, आवधिक रूप से फैक्टरी और बाजार से लिए गए नमूनों का परीक्षण और निरीक्षण सर्वेलेंस ऑडिट के जरिए करके उन विनिर्माता इकाइयों के कार्य-निष्पादन की जाँच करती है, जिनको आईएस 1786:2008 (जिसे टीएमटी बार्स के नाम से भी जाना जाता है) के अनुसार कंक्रीट रिइनफोर्समेंट हेतु हाई स्ट्रेंथ डीफोर्म्ड स्टील बार्स और वायर्स पर बीआईएस स्टेंडर्ड मार्क (आईएसआई मार्क) का उपयोग करने का लाइसेंस प्राप्त है।

(ङ): उपर्युक्त (घ) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

****